

17 किलो चांदी चोरी की घटना का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

अभियुक्तों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, केरल, मध्यप्रदेश, तमिलनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र में पूर्व में दर्जनों नकबजनी के मुकदमे दर्ज हैं

पाली, (निसं)। पाली में तरुण ज्वैलर्स से 17 किलो चांदी चोरी की घटना का पांच दिन के भीतर ही पर्दाफाश कर पुलिस ने बांसवाड़ा की अन्तर्राज्यीय गैंग के दो अभियुक्त गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी बरामद की। अभियुक्तों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, केरल, मध्यप्रदेश, तमिलनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र में पूर्व में दर्जनों नकबजनी के मुकदमे दर्ज हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 23 जून की रात्रि में पाली शहर के मुख्य बाजार सूरजपोल पर तरुण ज्वैलर्स के छत से ताले तोड़कर 17 किलो चांदी नकबजनी की वारदात को

■ **पाली में तरुण ज्वैलर्स से 17 किलो चांदी चोरी की घटना का पांच दिन में पर्दाफाश कर पुलिस ने बांसवाड़ा की अन्तर्राज्यीय गैंग के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया**

गंभीरता से देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया।

प्रार्थी तरुण खजवानिया पुत्र सूरेशचन्द निवासी पाली ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की कि 24 जून को सुबह दस बजे रोजना की तरह आकर दुकान खोली तो दुकान में सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था तथा सभी काउंटर के ड्राँवर, दरवाजे टूटे हुये थे। जिनमें रखी चांदी गायब

थी तथा दुकान के उपर जाकर देखा तो द्वितीय मंजिल पर भी ताले तोड़े हुए थे। उपर छत के रास्ते से मेन दरवाजे के ताले तोड़ अंदर घुसकर करीब 17 किलो चांदी के जेवरत चोरी कर के ले गये। इस बड़ी नकबजनी की घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरन्त मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली विपिन शर्मा आरपीएस, सहायक पुलिस अधीक्षक

वृत्त पाली शहर उषा यादव आई.पी.एस. एवं अनिल कुमार नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली मय टीम ने घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया। मौके पर एमओबी टीम को बुलाकर फुट प्रिन्ट एवं फिंगर प्रिन्ट लिये गये। थानाधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में टीम का गठन किया जाकर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को गहनता से विश्लेषण किया गया। रात के समय शहर के अन्दर आने और जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति एंव वाहन को वेरिफाई किया गया तथा करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे चैक कर

घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की पहचान की गई। तत्परता दिखाते हुए टीम द्वारा दिन रात मेहनत करके बासंवाड़ा की अन्तर्राज्जीय गैंग के दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्त बालेरो गाड़ी से अपने घर बासंवाड़ा से रवाना होकर देशभर में बड़े शहरों में दिन के समय में रैकी कर वारदात को अजांम देते हैं। पुलिस ने दिनेश पुत्र मनजी मईडा भील निवासी पाडला गणेशीलाल पुलिस थाना भंगड़ा जिला बासंवाड़ा, राजू पुत्र बापूलाल निनामा भील, निवासी गाँव विप पुलिस थाना भंगड़ा जिला बासंवाड़ा को गिरफ्तार किया।

जुआ खेलते सात जने गिरफ्तार, नगदी व ताश पत्ती बरामद



विराटनगर थाना पुलिस ने जुआ खेल रहे सात लोगों को गिरफ्तार किया।

पावटा, (निसं)। विराटनगर थाना पुलिस द्वारा पालड़ी ग्राम के पास जुआ खेल रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 6860 रुपये की नगदी और 104 ताश पत्तों को बरामद किया गया।

जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा वर्तमान में विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली वैभव शर्मा के निर्देशन व वृत्ताधिकारी वृत्त

विराटनगर शिप्रा राजावत के सुपरविजन एवं विराटनगर थाना प्रभारी सोहन लाल के नेतृत्व में गठित टीम उपनिरीक्षक कश्मीर सिंह, कांस्टेबल देवीलाल, कांस्टेबल कृष्ण लाल द्वारा मुखबिर की सूचना पर पालड़ी ग्राम के लिए पास जुआ खेलने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए 7 अभियुक्तों हरफूल पुत्र सुगल चंद उम्र 22 साल निवासी पालड़ी, प्रहलाद पुत्र भागीरथ उम्र 59 साल निवासी पालड़ी, महेश कुमार

पुत्र मन्नालाल उम्र उम्र 45 साल निवासी पालड़ी, घनश्याम पुत्र उमराव उम्र 23 साल निवासी झाड़ादिया की ढाणी, शंकर लाल पुत्र रामचंद्र उम्र 35 निवासी श्यामपुरा, गजेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सहाय उम्र 30 साल निवासी पालड़ी, रोशन पुत्र लीलाराम उम्र 19 साल निवासी पालड़ी को 6860 रुपये की नगदी और 104 ताश पत्तों के साथ गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्तों के खिलाफ आरपीजीओ में मामला दर्ज किया।

अवैध रूप से गौवंश परिवहन करने पर कंटेनर जब्त

कंटेनर में 33 जीवित गौवंश (बछड़े) रस्सियों से बंधे होकर भरे हुये मिले



रूपनगढ़ में पुलिस ने अवैध रूप से गौवंश परिवहन करने वाले कंटेनर को जब्त किया।

रूपनगढ़, (निसं)। रूपनगढ़ में पुलिस ने अवैध रूप से गौवंश परिवहन करने वाले कंटेनर को जब्त किया। वहीं चावल मौके का फायदा उठाकर भाग गया।
वर्दिता राणा पुलिस अधीक्षक, अजमेर के दिशा निर्देशन व डॉ. दीपक शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण अजमेर तथा उमेश गौतम, वृत्ताधिकारी वृत्त किशनगढ़ ग्रामीण के सुपरविजन में थानाधिकारी

सत्यवानसिंह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु लोकल एवं स्पेशल एक्ट के तहत अवैध गौवंश के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये सिणगारा रोड़ पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी में वाहनों की चैकिंग के दौरान एक कंटेनर चालक द्वारा नाकाबंदी देख वाहन को नाकाबंदी स्थान से पूर्व ही रोककर वाहन को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर खेत में लगे पेड़ों में

ओझल हो गया, जिसकी काफी तलाश की गई मगर नहीं मिली। कंटेनर को खोलकर देखा तो कंटेनर में 33 जीवित गौवंश (बछड़े) रस्सियों से बंधे होकर भरे हुये मिले। जिस पर अवैध रूप से गौवंश का परिवहन करने से वाहन को जब्त किया गया। 33 जीवित गौवंश (बछड़े) श्री माधव गोशाला सेवा समिति रूपनगढ़ में दाखिल करवाया गया। इस सम्बन्ध में मामला दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है।

टैक्सी में मृत पशु के अवशेष मिलने पर लोगों में रोष

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर के झंवर रोड पर टैक्सी में मृत पशु के अवशेष मिलने पर लोगों में रोष फैल गया। भीड़ होने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौजूद लोगों से समझाई गई।

लोगों ने बताया कि झंवर के गंगाना रोड पर बुझावड़ के पास एक टैक्सी में कुछ कट्टे भरे हुए थे। मौके

से निकले तो एक टैक्सी चालक सड़क पर बिखरे कुछ मांस के टुकड़ों को कट्टों में भर रहा था। संदेह होने पर उससे पूछताछ की। इसमें सामने आया कि इन कट्टों को माँचिया सफारी पार्क ले जाता जा रहा है।

मामले में लोगों ने डीएफओ को फोन कर किया तो उन्होंने माँचिया सफारी पार्क में ऐसी कोई टैक्सी

मंगवाये से इनकार कर दिया। इसके बाद लोग धरने पर बैठ गए और जांच की मांग की। सूचना मिलने के बाद एसीपी प्रताप नगर रविंद्र बोथरा राजीव गांधी नगर थाना अधिकारी सुरेश पोतलिया पुलिस जाबो के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने धरने पर बैठे लोगों से समझाइश की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

सरकारी जमीन का फर्जी आवंटन करने के मामले की जांच पूरी नहीं

8122 बीघा जमीन खुरदबुर्द करने में सस्पेंड 29 अफसर व कर्मियों को जांच से पहले ही फ्रील्ड पोस्टिंग दी

बीकानेर, (निसं)।यहां पूगल और छत्तरगढ़ में 8122 बीघा सरकारी जमीन का फर्जी आवंटन करने के मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इस मामले में निर्लांबित किए गए दो आरएएस सहित 29 अधिकारियों–कर्मचारियों को बहाल कर फ्रील्ड पोस्टिंग दे दी गई है। सोलर कंपनियों से मोटी कमाई करने के लिए पूगल में 2010 बीघा सरकारी जमीन 31 लोगों को आवंटित कर सरकार को लगभग 40 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। वहीं छत्तरगढ़ में 6112 बीघा सरकारी जमीन 101 लोगों को आवंटित कर 25 करोड़ का चूना सरकार को लगाया। दोनों तहसीलों में 132 कासतकारों को फर्जी तरीके से जमीनें आवंटित कर दी गईं। एसीबी की स्पेशल ब्रांच में इसे लेकर मार्च में दो अलग-अलग केस दर्ज हुए थे। अब तक प्रकरणों की जांच करने वाली कमेटी में

प्रशिक्षु आईपीएस यक्ष चौधरी को छोड़ सभी के बयान हो चुके हैं। अब आरोपी लोक सेवकों और उसके बाद लाभार्थियों से पूछताछ होगी। इस मामले में दोनों आरएएस अधिकारियों सहित 33 अधिकारियों और कर्मचारियों निर्लांबित कर दिया गया, जिसमें से बाद में एक ही मृत्यु हो गई। चार रिटायर हो गए हैरानी की बात ये है कि जांच खत्म होने के पहले ही सभी को बहाल कर फ्रील्ड पोस्टिंग दे दी गई है। आरएएस सीता शर्मा आईसीडीएस कोटा में डीडी और मनोज खेमादा कुशलगढ़ एसडीएम हैं।

पटवारियों और भू अभिलेख निरीक्षकों के तीन-तीन इंकीमेंट रोक चार्जशीट जारी कर दी है। इन सभी को जिले में ही अन्य तहसीलों में फ्रील्ड पोस्टिंग दी गई है। दोनों प्रकरणों की जांच प्रशिक्षु आरपीएस यक्ष चौधरी, डीएसओ सुभाष चौधरी, वरिष्ठ आरएएस

अधिकारी मदनलाल नेहरा, सहायक राजस्व लेखाधिकारी श्रवण सिंह चारण, कपिल तंवर और लालचंद प्रजापत की कमेटी ने की थी। आरोंप है कि तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों ने 55 साल पुराने आवंटन आदेशों की आड़ में मृत व्यक्तियों की तथा खारित हो चुकी जमीनें शुद्धि पत्रों के जरिए फर्जी तरीके से आवंटित कर दी।

छत्तरगढ़ के मामले में सुरेंद्र कुमार जाखड़ सेवानिवृत्त तहसीलदार, कुलदीप कस्वां तहसीलदार, दिप्ली तहसीलदार, राजेश कुमार नायब तहसीलदार, सरस्वरदीन भू-अभिलेख निरीक्षक, मकसूद अली भू-अभिलेख निरीक्षक, सुभाष चंद्र भू-अभिलेख निरीक्षक, मुकेश गोदारा भू-अभिलेख निरीक्षक, जसवीर सिंह पटवारी, सुरेंद्र कुमार भू-अभिलेख निरीक्षक, राजकुमार मीणा पटवारी, वॉरेंड्र सिंह पटवारी, अजेन्द्र सिंह भाटी पटवारी,

जयसिंह गुर्जर पटवारी, देवराजसिंह पटवारी, विकास पूनिया पटवारी, अनिता शर्मा पटवारी, पेमाराम सारण पटवारी व अन्य हैं।

पूगल के प्रकरण में उपखंड अधिकारी सीता शर्मा और मनोज खेमदा, रामेश्वरलाल गढ़वाल राजस्व तहसीलदार, आदित्या तहसीलदार, कालुराम तहसीलदार, महेंद्र सिंह मुवाल तहसीलदार, राजेश कुमार शर्मा नायब तहसीलदार, इकबाल सिंह भू अभिलेख निरीक्षक, जयसिंह चौहान भू अभिलेख निरीक्षक, भंवरलाल मेघवाल ऑफिस कानूनगो, राजेंद्र स्वामी पटवारी, विकास पूनिया पटवारी, लृणाराम पटवारी, मांगीलाल पटवारी। राजस्थान भू राजस्व नियम 1970 के अनुसार तत्कालीन उपखंड अधिकारी बीकानेर उत्तर द्वारा वर्ष 1971 और उसके बाद भूमिहीन श्रेणी के कासतकारों को कृषि के लिए 10 साल के लिए के लिए गैर खातेदारी

श्रेणी में आवंटन किया गया था। इस श्रेणी के आवंटियों को खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान था। आवंटियों को नियमानुसार आवंटित भूमि का कब्जा व गैर खातेदार, खातेदार की प्रविष्टियां रिकॉर्ड में अंकित की जा चुकी थी। इसके चलते आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने वाले आवंटियों के आवंटन भी निरस्त कर दिए गए। नियमों के तहत आवंटित भूमि का कब्जा नहीं लेने वालों की जमीनें राजस्व रिकॉर्ड में संरक्षित रही हैं। इन गांवों का भू-सर्वेक्षण, भू-प्रबंध वर्ष 1990-92 तक होने पर खसरा नंबर, खसरा मानचित्र व भूमि की ईकाई में परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड इसी के अनुसार है। इन गांवों की सरकारी जमीनों को सरकारी खाते से हटाकर तथाकथित व्यक्तियों के नाम से पूर्व अवधि के आवंटन आदेशों की फर्जी तरीके से नकलें बनाईं।